न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 34/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री जगदीश नारायण मालू पुत्र श्री रामनारायण मालू मैसर्स– जगदीश रामनारायण मालू मारवाड़ बस स्टैण्ड के पास अजमेर रोड़ पुष्कर अजमेर निवासी उदयपुरा मौहल्ला, हलवाई वाली गली, बड़ी बस्ती, पुष्कर अजमेर।

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 58 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थी स्वयं।

–: आदेश :–

दिनांक– 15.06.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने धनिया पाउडर (एक्सान्यूस मैटर हल्दी) का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.11.2015 को 05.10 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स– जगदीश रामनारायण मालू मारवाड़ बस स्टैण्ड के पास, अजमेर रोड़, पुष्कर, अजमेर पर पहूँचे श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री रामनारायण मालू मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को धनिया पाउडर का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान धनिया पाउडर में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 2 किलो ग्राम धनिया पाउडर वास्ते नमूना जॉच हेतु 320/– रूपयें श्री जगदीश नारायण को नगद देकर गवाह श्री अजय मोयल तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री जगदीश नारायण को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा धनिया पाउडर को चार अलग–2 पैकिट में बराबर–2 मात्रा में डालने के पश्चात प्रत्येक पैकिट को नियमानुसार बन्द करने के पश्चात चारो नमूनों पर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक एजे0/741 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक अजो/एफएसएसए/2015/169 दिनांक 11.01.2016 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस./961/एक्ट/2015/961 दिंनांक 22.12.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच उपयोग में लिया गया धनिया पाउडर (एक्सान्यूस मैटर हल्दी) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 16.03.2016 पेश किया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री जगदीश नारायण को रुपये 15000/–(अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 15.06.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15.06.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2016/2436-39 दिनांक : 23.6.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।

3– उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन, अजमेर।

4– श्री जगदीश नारायण मालू पुत्र श्री रामनारायण मालू मैसर्स– जगदीश रामनारायण मालू मारवाड़ बस स्टैण्ड के पास अजमेर रोड़ पुष्कर अजमेर निवासी उदयपुरा मौहल्ला, हलवाई वाली गली, बड़ी बस्ती, पुष्कर अजमेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

Scanned by CamScanner